संख्याः पीसीएच–एचए(5) लूज– 54553-76
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

सेवा में

1. समस्त उपायुक्त,
   हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक 29 सितम्बर, 2018

विषयः– प्रारम्भिक जांच बारे दिशानिर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रायः देखने में आया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच दो साल या इससे भी अधिक समय से क्षेत्रीय कार्यालयों में लम्बित पड़ी है जिसके फलस्वरूप दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध न तो हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल मे लाई जा सकती है और न ही उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार 6 माह की अवधि के भीतर–भीतर नियमित जांच पूर्ण की जा सकती है।

अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों के विरूद्ध सीधे तौर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त/ विभाग द्वारा प्रेषित शिकायतों पर 45 दिन के भीतर–भीतर प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर जांच रिपोर्ट के आधार पर हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि किन्ही प्रशासनिक या अन्य कारणवश उक्त निर्धारित समय में जांच पूर्ण नही होती तो विलम्ब के कारण स्पष्ट करते हुए उक्त समय अवधि मे बढ़ोतरी हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग से अनुमति/स्वीकृति लेनी होगी।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक एवं
उप सचिव, (पंचा0 राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।